कपिल देव,
प्रमुख सचिव,राजस्व

अ०शा०प०सं० 853/1-11-2005-13(जी)/2004 टीसी-II
बापू भवन
दूरभाष का02238698 सी.एच.4765

लखनऊः दिनांक: 10 मार्च, 2005

प्रिय महोदय,

वर्ष 2004-05 में सूखे से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के वितरण हेतु जनपदों की माँग के अनुसार वाँछित धनराशि शासनादेश दिनांक 3 मार्च, 2005 के द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है, जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित है। यह शासनादेश वेब-साइट पर भी उपलब्ध है।

उक्त शासनादेश के माध्यम से अल्प अवधि में बहुत अधिक धनराशि जनपदों में वितरित की जानी है। अतः प्रत्येक स्तर पर अत्यधिक सतर्कता बरते जाने की आवश्यकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया अपने स्तर से गहन अनुश्रवण करते हुए यह सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें कि शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत समस्त धनराशि पात्र कृषकों के बीच निर्धारित समयावधि में वितरित हो जाये तथा इसका व्यय विवरण दिनांक 28 मार्च, 2005 तक राहत आयुक्त को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाये।

सादर शुभकामनाएँ

भवदीय,

(कपिल देव)

10/3

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।